

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

तारीख रजु:-18.08.2022

पीठासीन अधिकारी:- सुनीता मीना आर.ए.एस

उनवान

1. जयप्रकाश पुत्र प्रेमवती पत्नि रामसिंह
2. गोपाल सिंह पुत्र प्रेमवती पत्नि रामसिंह  
निवासी उलू तहसील भुसावर जिला भरतपुर हाल निवासी फलेट न० 605 एयरपोर्ट रेजीडेन्सी  
रविन्द्र नगर जगतपुरा जयपुर।
3. इन्दिरा पुत्री प्रेमवती जाति जाटव निवासी उलू तहसील भुसावर जिला भरतपुर हाल निवासी  
प्लाट न० 31 जयजवान बी.एम.पी. होटल के पीछे टोक रोड जयपुर।
4. रामसिंह पुत्र मदनलाल जाति जाटव निवासी 201 राजेन्द्र नगर भरतपुर हाल निवासी फलेट  
न० 605 एयरपोर्ट रेजीडेन्सी रविन्द्र नगर जगतपुरा जयपुर।
5. उगन्ती देवी पत्नि बाबूलाल बैरवा निवासी साकरवाडा तहसील टोडाभीम
6. विमला देवी पत्नि किशन्या जाति बैरवा निवासी साकरवाडा तहसील टोडाभीम
7. राजीव पुत्र किशन्या जाति बैरवा नाबालिग जरिये माता विमला देवी पत्नि किशन्या बैरवा  
निवासी साकरवाडा तहसील टोडाभीम
8. राहुल पुत्र किशन्या जाति बैरवा नाबालिग जरिये माता विमला देवी पत्नि किशन्या बैरवा  
निवासी साकरवाडा तहसील टोडाभीम
9. गुलबी पत्नि रामकुमार
10. बाबूलाल पुत्र रामकुमार
11. रामचन्द्र पुत्र रामकुमार
12. रामस्वरूप पुत्र रामकुमार  
समस्त जाति बैरवा निवासी साकरवाडा तहसील टोडाभीम
13. केशन्ती पत्नि पप्पू
14. सुमन पुत्री पप्पू
15. ममता पुत्री पप्पू  
जाति बैरवा निवासीयान साकरवाडा तहसील टोडाभीम
16. धापा पत्नि काडूराम
17. रामनिवास पुत्र काडूराम
18. सोनू कुमार पुत्र काडूराम लाओ0 फौत
19. शकुन्तला पुत्री काडूराम  
समस्त जाति बैरवा निवासी रामगढ तहसील महवा हाल निवासी सांकरवाडा तहसील  
टोडाभीम।
20. नौरत्या पुत्र रामहेत जाति जाटव निवासी साकरवाडा तहसील टोडाभीम
21. रामपति पत्नि जगदीश प्रसाद जाति बैरवा निवासी साकरवाडा तहसील टोडाभीम।
22. दीपक पुत्र जगदीश प्रसाद नाबालिग
23. बबलू पुत्र जगदीश प्रसाद नाबालिग
24. सचिन पुत्र जगदीश प्रसाद नाबालिग
25. मनीषा पुत्री जगदीश प्रसाद नाबालिग  
जरिये सरक्षक माता रामपति पत्नि जगदीश प्रसाद जाति बैरवा निवासी साकरवाडा।  
(वादीगण)

बनाम

(सुनीता मीना)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर  
टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

1. दुर्गी देवी पत्नि रूपनारायण
2. कविता पुत्री रूपनारायण
3. किरण पुत्री रूपनारायण
4. प्रेम पुत्री रूपनारायण
5. प्रेमराज पुत्र रूपनारायण
6. नीलम पुत्री श्यामलाल  
समस्त जातियान जाटव निवासी साकरवाडा तहसील टोडाभीम हाल निवासी म०न० 197  
ब्लाक ए गेट न० 1, 25 फीट शिवा एनक्लेव पार्ट 1 चादू भूडेरा रोड गढी हरसारु गुरुग्राम  
हरियाणा
7. पंकज कुमार पुत्र श्यामलाल
8. राहुल पुत्र श्यामलाल
9. पूनम देवी पत्नि श्यामलाल
10. बाढा पत्नि रामप्रसाद
11. प्यारेलाल पुत्र रामप्रसाद
12. मुकेश पुत्र रामप्रसाद
13. छोटेलाल पुत्र रामप्रसाद
14. कमला देवी पत्नि रामभरोसी
15. भारती पुत्री रामभरोसी
16. बीना पुत्री रामभरोसी  
समस्त जातियान जाटव निवासी साकरवाडा तहसील टोडाभीम
17. कैलाश पुत्र रामजीलाल
18. छोटेलाल पुत्र रामजीलाल
19. भागली पुत्री रामजीलाल  
समस्त जातियान बैरवा निवासी रामगढ तहसील महवा जिला दौसा।
20. केशन्ती पत्नि जगदीश
21. दिनेश कुमार पुत्र जगदीश
22. सरिता पुत्री जगदीश  
जाति बैरवा निवासी साकरवाडा तहसील टोडाभीम।
23. छोटेलाल पुत्र मूल्या जाति कोली निवासी कोली मोहल्ला त्रिशूल तहसील टोडाभीम।
24. कमला देवी पत्नि श्रीमन जाति बैरवा निवासी उदयपुरा तहसील सिकराय जिला दौसा।
25. तहसीलदार टोडाभीम।
26. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया घाटा मेहन्दीपुर बालाजी।
27. शाखा प्रबन्धक बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मेहन्दीपुर बालाजी।
28. राज्य सरकार जरिये जिला कलक्टर गंगापुर सिटी।

(प्रतिवादीगण)

दावा बावत इन्द्राज दुरुस्ती तकास्मा आराजीयात व घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति:- श्री विष्णु कुमार कंटक एडवोकेट वादीगण

श्री दिलावर सिंह बैसला एडवोकेट प्रतिवादीगण न० 1 ता 9

निर्णय

दिनांक:- 18.06.2024

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम गहरौली के खाता स० 29 के ख०न० 289/0.10, 290/0.20 मे वादी न० 1 ता 4 सम्पूर्ण हिस्से के खातेदार काशतकार दर्ज रिकार्ड है।

(सुनीता मीना)  
न्यायालय उपनिर्णय अधिकारी एवं पदेन महायुक्त कलक्टर  
टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी



दौराने दावा वादीया न० 5 द्वारा मद न० 11 मे दर्ज ख०न० 275/0.41, 277/0.60 मे ग्रंथ के हिस्से 5/9 मे से वादी न० 1 जयप्रकाश को 379/1010 हिस्से को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय त्र दिनांक 6.1.23 को तहरीर व तकमी कराकर मौके पर कब्जा करा दिया, इसलिये वादीया न० 5 5/9 हिस्से मे से वादी न० 1 जयप्रकाश को 379/1010 हिस्सा विक्रय करने के पश्चात वादीया न० 5 का 1639/9090 हिस्सा शेष रह गया है तथा उक्त आराजी मे वादी न० 1, 379/1010 का खातेदार काश्तकार है।

यह है कि प्रेमवती पत्नि रामसिंह वादी न० 1 ता 3 की मा तथा वादी न० 4 की पत्नि श्री। प्रेमवती पत्नि रामसिंह का स्वर्गवास हो चुका है। प्रेमवती की मृत्यु के उपरान्त वादी न० 1 ता 3 के नाम विरासत खोलते समय हल्का पटवारी द्वारा वादी न० 1 ता 3 की वल्लियत मे पिता रामसिंह के स्थान पर माता प्रेमवती का नाम दर्ज करा दिया है, जो कि गलत हैं उक्त गलत इन्द्राज को दुरुस्त किया जाना आवश्यक है चुकि कानूनन व सामाजिक तौर पर पुरुष प्रधान होने के कारण वल्लियत पिता की ही दर्ज की जाती है, ना कि माता की दर्ज की जाती है। भविष्य मे प्रेमवती के वारिसान को प्रेमवती से विरासत मे मिली कृषि भूमि के अन्तरण आदि कार्यों मे परेशानियों का सामना करना पडेगा, जिस कारण वादी न० 2 ता 3 को मा प्रेमवती से विरासत मे मिली आराजी मद न० 1,3,5, मे दर्ज आराजी खाता न० 29, 21, 48 स्थित मे वादी न० 1 ता 3 की वल्लियत प्रेमवती के स्थान पर रामसिंह किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

खातेदार किशन्या, पप्पू, रामप्रसाद, रामजीलाल का स्वर्गवास हो चुका है। रामजीलाल के पुत्र जगदीश का भी स्वर्गवास हो चुका है। खातेदार सोनूकुमार, नौल्या व पून्या लाऔलाद लावारिश फौत हो गये है। खातेदार किशन्या के वारिसान वादीगण न० 6 ता 8, खातेदार पप्पू के वारिसान प्रतिवादी न० 10 ता 16 है। खातेदार रामजीलाल के वारिसान प्रतिवादी न० 17 ता 22 है मृतक खातेदारान के वारिसान को आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। जो मृतक के तर्के पर काबिज है तथा जिम्मेदार नतीजा मुकदमा हाजा है।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने मौके पर अपने-अपने हिस्से की आराजी का कब्जेनुसार बटवारा कर रखा है, लेकिन वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य रिकार्डेड बटवारा नही होने से आये दिन डोलमेड को लेकर विवाद बना रहता है।

बॉका दिनांक 12.8.2022 का है कि वादीगण ने प्रतिवादीगण से टोडाभीम तहसील मे चलकर अपने-अपने हिस्से की आराजी का बटवारा कराने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण ने तहसील मे चलने से इन्कार कर दिया जिस कारण यह दावा हाजा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

अतः दावा वादीगण न० 1 ता 4 बखिलाफ प्रतिवादीगण बावत इन्द्राज दुरुस्ती व घोषणा खातेदारी डिकी किया जाकर आराजीयात ख०न० 289, 290, 298, 299, 307, 282 मे वादीगण न० 1 ता 3 की वल्लियत प्रेमवती के स्थान पर रामसिंह दर्ज की जावे।

दावा वादीगण बखिलाफ प्रतिवादी बावत घोषणा खातेदारी डिकी फरमाया जाकर आराजी मद न० 1 ता 11 मे मृतक खातेदार किशन्या के स्थान पर वादी न० 6 ता 8 को तथा मृतक पप्पू के स्थान पर वादीगण न० 13 ता 15 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दावा बाद सुनवाई दिनांक 15.06.2024 को प्राथमिक डिकी किया जाकर तहसीलदार टोडाभीम से बटवारा स्कीम तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई।

तहसीलदार टोडाभीम से प्राप्त बटवारा स्कीम का उभयपक्ष वकील ने अवलोकन कर अपनी बहस मे कथन किया कि तहसीलदार टोडाभीम द्वारा मुताबिक रिकार्ड व कब्जेकाश्त अनुसार

(सुनीता मीना)

अधिकाारी एवं पदेन सहायक कलक्टर

टवारा स्कीम पेश की है अतः मुताबिक बटवारा स्कीम अनुसार दावा फाईनल डिकी कर दिया वे।

वादीगण वकील की बहस पर मनन करते हुये पत्रावली मे शामिल दस्तावेजो, व टवारा स्कीम का अवलोकन किया गया। तहसीलदार टोडाभीम द्वारा प्रस्तुत बटवारा स्कीम का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत बटवारा स्कीम के अवलोकन से स्पष्ट है कि विभाजन स्कीम रिकार्ड दर्ज हिस्सानुसार व कब्जेनुसार तैयार की गई है। तथा उभयपक्ष वकील ने भी अपनी बहस मे भी स्थन किया है कि तहसीलदार टोडाभीम द्वारा प्रस्तुत बटवारा स्कीम अनुसार दावा फाईनल डिकी कर दिया जावे। अतः वादपत्र मे वर्णित आराजीयात ग्राम गहरौली मे बटवारा स्कीम के अनुसार दावा नेम्नानुसार फाईनल डिकी किया जाता है।

क्र.सं०	नाम खातेदार काश्तकार	ख०न०	रकवा
1	गोपाल सिंह, जयप्रकाश पि० रामसिंह, इन्दिरा पुत्री रामसिंह हि.ब. जाति जाटव निवासी उलू तहसील भुसावर हालवासी जगतपुरा जयपुर	289	0.10 है०
		290	0.20 है०
		276/1	0.12 है०
		कुल किता 3	0.42 है०
2	जयप्रकाश पुत्र रामसिंह जाति जाटव निवासी पलेट न० 605 एयरपोर्ट रेजीडेन्सी रविन्द्रनगर जगतपुरा जयपुर	275/1	0.3790 है०
3	रामसिंह पुत्र मदनलाल जाति जाटव निवासी 201 राजेन्द्र नगर भरतपुर	275/2	0.0310 है०
		277/1	0.3865 है०
		276/2	0.02 है०
		कुल किता 3	0.4375 है०
4	उगन्ती पत्नि बाबूलाल जाति बैरवा निवासी सांकरवाडा	277/2	0.2135 है०
		278	0.65 है०
		279/1	0.5135 है०
		कुल किता 3	1.3770 है०
5	प्रेमराज पुत्र रूपनारायण, दुर्गा देवी पत्नि रूपनारायण, कविता, किरण, प्रेम पुत्रीयान रूपनारायण हिस्सा 5/6, पूनम देवी पत्नि श्यामलाल, पंकज कुमार, राहुल पि० श्यामलाल, नीलम पुत्री श्यामलाल हि.ब. 1/6 जाति बैरवा निवासी साकरवाडा	282/1	0.0199 है०
6	केशन्ती पत्नि पप्पू उर्फ भगवानदास, सुमन, ममता पुत्रीया पप्पू उर्फ भगवानदास, हि.ब.460/12683 जाति बैरवा निवासी रामगढ तहसील महवा जिला दौसा, विमला देवी पत्नि किशान्या, राजीव, राहुल पि० किशान्या, पूजा, प्रियंका पुत्रीया किशान्या हि.ब. 460/12683 बिला रहन नोरत्या पुत्र रामहेत हिस्सा 2397/12683 राहिन बी.आर.के.जी.बी. मेहन्दीपुर बालाजी, नोल्या पुत्र रामकुवार, गुलबी पत्नि रामकुवार हि.ब. 921/12683, बाबू पुत्र रामकुवार हिस्सा 460/12683, रामचन्द्र पुत्र रामकुवार हिस्सा 431/12683, रामस्वरूप पुत्र रामकुवार हिस्सा 460/12683, भागली पत्नि रामजीलाल, छोटेलाल, कैलाश पि० रामजीलाल, छोटी पुत्री रामजीलाल हि.ब. 366/5765, कान्ता देवी पत्नि जगदीश, दिनेश, पवन पि० जगदीश, सरिता पुत्री जगदीश हि.ब. 183/11530, बाढादेवी पत्नि रामप्रसाद, प्यारेलाल, छोटेलाल, मुकेश पि० रामप्रसाद, भागन्ती पुत्री	282/2	0.2201 है०
		280	0.06 है०
		303	0.07 है०
		298	0.04 है०
		299	0.24 है०
		307	0.92 है०
		304	0.45 है०
		236	0.24 है०
		305	0.07 है०
		306	0.21 है०
		279/2	0.0165 है०
	कुल किता 11	2.5366 है०	

(सुनिश्चिती मीना)  
न्यायलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन तलबक कलम  
जिला-गंगानुर सिटी

<p>रामप्रसाद हि.ब.11125/202928, कमला देवी पत्नि रामभरोसी, भारती, वीणा पुत्रीया रामभरोसी हि.ब. 2225/202928, प्रेमबाई पत्नि भरतलाल, संजय, बलराम पि० भरतलाल हि.ब.2225/202928, रामपति पत्नि जगदीश नाबा० दीपक, सचिन, बबलू पि० जगदीश नाबा मनीषा पुत्री जगदीश संरक्षक माता रामपति हि.ब. 2225/202928, रामपति पत्नि जगदीश नाबा० दीपक, सचिन, बबलू पि० जगदीश नाबा मनीषा पुत्री जगदीश संरक्षक माता रामपति हि. ब. 2925/12683, धापा देवी पत्नि काडूराम, रामनिवास, सोनू कुमार पि० काडूराम, शकुन्तला पुत्री काडूराम हि.ब. 175/12683, पूनिया पुत्र घीस्या हिस्सा 150/12683, जाति बैरवा निवासी साकरवाडा, कमला देवी पत्नि श्रीमन हिस्सा 1225/12683 जाति बैरवा निवासी उदयपुरा, छोटेलाल पुत्र मूल्या हिस्सा 500/12683 जाति कोली निवासी कोली मोहल्ला त्रिशूल खातेदार</p>		
--	--	--

उक्त सूची अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। नक्शा ट्रेस की प्रति निर्णय के साथ संलग्न रहेगी। उभयपक्ष को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि एक-दूसरे के कब्जे काश्त में मजाहमत मदाखलत नही करे। पर्चा डिकी जारी हो

निर्णय आज दिनांक 18.06.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुनीता मीना)

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर  
न्यायिक मामलों का अधिकारी एवं सहायक कलक्टर  
दोडाधाम, जिला गंगानगर सिद्धी